भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

मि.सं.576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर-खण्ड-। दिनांक- 12 नवम्बर, 2015

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1- मध्य प्रदेश,

2- तेलंगाना,

3- मणिपुर,

4- मिजोरम,

5- मेघालय।

विषय- लोक सभा एवं राज्य विधान सभा के उप- निर्वाचन, 2015 -ई.वी.एम का उपयोग - तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुपालन में जारी किये गए आयोग के दिनांक 12 नवम्बर, 2015 के निदेश संख्या 576/3/ईवीएम/2014/एसडीआर-खण्ड-। को एतदद्वारा भेजने का निदेश हुआ है जिसमें **28-10-2015 (बुधवार)** को अधिसूचित किए गए **मध्य प्रदेश के 24-रतलाम(अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के 15-वारंगल (अ.ज.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमेईबांद एवं 5- थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-उत्तरी एजवाल-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोंगस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है जहां पर लोक सभा एवं विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में मत, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकॉर्ड किये जांएगें। इस निदेश को राज्य के शासकीय राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

2. मुझे निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जो मतदान मशीनों के डिजाइन, मतपत्र (बैलेटिंग) यूनिट पर मतपत्रों (बैलेट पेपर) के प्रकार तथा भाषा(भाषाएं) और निविदत्त मतपत्र (बैलेट पेपर) की डिजाइन और भाषा तथा मतदान के पश्चात मतदान मशीनों को

मुहरबन्द करने के तरीकों के बारे में है। इस संदर्भ में संबंधित अनुदेश रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका, 2014, 'पोस्टल बैलेट पेपर एवं वोटिंग मशीनों के लिए बैलेट पेपर' के अध्याय-XI में निहित है का अनुसरण किया जाए।

3. उक्त वर्णित अनुदेशों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की सूचना और अनुपालन के लिए ध्यान में लाया जाए।

4. जहां तक मतों की गणना का संबंध है, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 55ग से 57ग तथा 60 से 66क के उपबंधों की ओर दिलाया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसरों की पुस्तिका, 2014 (जहां पर इलैकट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाता है) के अध्याय XV में निहित मतों की गिनती से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसरों को उक्त निदेशों तथा अनुदेशों का निष्ठा से अनुपालन करने का निदेश दिया जाना चाहिए।

5. कृपया पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव

भारत के राजपत्र, भाग-II,
खण्ड-3(iii) में तत्काल प्रकाशनार्थ।
राज्य सरकार के राजपत्र में
तत्काल पुन: प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

तारीख- 12 नवम्बर, 2015
कार्तिक, 1937 (शक)

निदेश

संख्या 576/3/ईवीएम/2015/एस.डी.आर.-खण्ड-I- यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकॉर्ड किए जांएगें जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; और

2. यत: आयोग ने **मध्य प्रदेश के 24-रतलाम(अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के 15-वारंगल (अ.ज.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमेईबांद एवं 5- थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-उत्तरी एजवाल-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोंगस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र** की परिस्थितियों पर विचार किया है तथा इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है। मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है तथा मतदाता भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के साथ पूरी तरह परिचित हैं।

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा हरियाणा एवं महाराष्ट्र के वर्तमान राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचन में **मध्य प्रदेश के 24-रतलाम(अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के 15-वारंगल (अ.ज.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमिबंद एवं 5- थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-आइजवाल उत्तर-III (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोन्गस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र**, जहां पर उप-निर्वाचन हो रहे हैं, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रुप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें **28-10-2015 (बुधवार)** को अधिसूचित किए गए लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएगें जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,

अनुज जयपुरियार

(अनुज जयपुरियार)
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi –110 001

No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I Dated:12th November, 2015

To,

The Chief Electoral Officer

1. Madhya Pradesh,
2. Telangana,
3. Manipur,
4. Mizoram,
5. Meghalaya

Subject:-Bye-Elections to the House of the People and State Legislative Assemblies, 2015 – Use of Electronic Voting Machines.

Sir,

I am directed to forward herewith the Commission's Direction bearing No. 576/3/EVM/2015/SDR/Vol.I, dated 12th November, 2015, issued in pursuance of Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, specifying **24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh & 15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency in Telangana and 171-Devas Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 9-Thangmeiband & 5-Thongju Assembly Constituencies in Manipur, 12-Aizwal North-III (ST) Assembly Constituency in Mizoram & 32-Nongstoin(ST) Assembly Constituency in Meghalaya** as the Constituencies where giving and recording of votes at the current bye-elections to the House of the People and State Legislative Assemblies, **notified on 28-10-2015 (Wednesday),** shall be by means of Electronic Voting Machines. The Direction may be published in the Official Gazette of the States immediately and two copies of the Gazette may be forwarded to the Commission for its information and record.

2. I am further directed to invite your attention to the rules 49A, 49B, 49P and 49T(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, relating to the designs of voting machines, form and language(s) of the ballot paper on the balloting unit, design and language of tendered ballot paper and the manner of sealing of voting machines after the poll. The related instruction in this regard contained in Chapter-XI, 'Postal Ballot Papers and Ballot Papers for Voting Machines', of Returning Officers' Handbook, 2014 edition may kindly be followed.